

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
क्रमांक:- एफ.2(4451)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/03848/2018 जयपुर, दिनांक 15/10/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री/श्रीमती दिपिका गहलोत, सूचना सहायक वर्तमान पदस्थापन कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर को **M.B.M. ENGINEERING COLLEGE JODHPUR** से **M.TECH (PART TIME)** परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री/श्रीमती दिपिका गहलोत, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(हंसराज यादव)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर
2. सुश्री/श्रीमती दिपिका गहलोत, सूचना सहायक, कार्यालय डॉ. एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:— एफ.2(3789)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/103846/2018

जयपुर, दिनांक 15/10/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती बुलबुल, सूचना सहायक वर्तमान पदस्थापन कार्यालय सेटलमेन्ट विभाग, जयपुर को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा से पत्राचार के माध्यम से एम.ए.प्रीवियस (इतिहास) 2018, परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती बुलबुल, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(हंसराज यादव)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. आयुक्तालय, सेटलमेन्ट विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्रीमती बुलबुल, सूचना सहायक, कार्यालय सेटलमेन्ट विभाग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव